न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/7767/2006/सवाई माधौपुर

1– नारायण पुत्र जगनलाल,
2– जगनलाल पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति बैरवा निवासी मौरोज ढाणी पिता डांडा तहसील खण्डार जिला सवाई माधौपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1– गुलाब पुत्र कौंरया जाति धोबी निवासी ग्राम बाजोली तहसील खण्डार जिला सवाई माधौपुर।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधौपुर।

..... रैस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

निर्णय

दिनांक : 13 अगस्त, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–8–2006 अपील सं0 07/2003 बउनवानी गुलाब बनाम श्री नारायण के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी गुलाब ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 64/3 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा एवं 64/4 रकबा 19 बिस्वा, 65 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा ग्राम मौरोज तहसील खण्डार में स्थित है। उक्त आराजी का खातेदार काबिज काश्त है किन्तु प्रतिवादीगण जबरन उसे आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। अतः वाद वादी डिक्री किया जावें। विद्धान विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज कर उभयपक्ष की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 13–9–2002 को वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जिसकी प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर में प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–08–2006 से अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दि0 13–9–2002 अपास्त कर दी जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 17–08–2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी का अपीलांट खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त करता चला आ रहा है जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित है। वादग्रस्त आराजी नं0 64 अपीलांट को दिनांक 27–6–1989 को आवंटन की गई और इस आराजी पर काफी रूपये खर्च कर कुआ खुदवाया एवं काबिल काश्त बनाकर 5 फीट पत्थरों की मेड़ बनायी तथा मौके पर अपीलांट के पेड़ सेव, बांस, मौसमी आदि के लगे हुए हैं जो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत गवाह एवं मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से साबित है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी को रेस्पो0 ने धन्न पुत्र सुकल्या बैरवा को नियमन होना बताया एवं उससे क्रय करना बताया किन्तु वादी का मुख्त्यारआम अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रहा एवं जमीन का खातेदार अनुसूचित जाति का व्यक्ति था जिसकी हड़क ली एवं कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का सवर्ण जाति के व्यक्ति के हक में हस्तान्तरण नहीं हो सकता है। इस कारण से तहत न्यायालय ने सही तरीके से उसका वाद निरस्त किया था। वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 64 व 65 की तरमीम नहीं थी किन्तु रेस्पो0 ने प्रतिवादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप किया और हमारी आराजी की स्वयं के पक्ष में तरमीम कराली जबकि आराजी पर अपीलांट की कब्जा काश्त है जो उपलब्ध साक्ष्य से साबित थी। वादी ने आवश्यक पक्षकार को वाद में बिना पक्षकार बनाये वाद पेश कर दिया जिसे उनका दावा मिसजोइण्डर ऑफ नैसेसरी पार्टी के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने सही रूप से वाद को निरस्त किया था। वादी का मुख्त्यारमआम पूर्व सरपंच प्रभावी व धनाढ्य व्यक्ति है जिसने राजस्व अधिकारियों से मिलकर प्रतिवादी की आराजी की स्वयं के पक्ष में तरमीम कराली जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में भूमि का कोई अन्तरण नहीं किया बल्कि वादी के मुख्त्यारआम ने कूटरचना से भूमि अपने नाम करवा ली। अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं कानूनी नजीरों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है

जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय दि0 17-8-2006 अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दि0 13-9-2002 बहाल रखा जावें।

5- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी वादी/अपीलांट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादग्रस्त आराजी पर क्रय के समय से हमारा कब्जा काश्त है और अपीलांट नारायण वगैरा का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का अपीलांट गुलाब को खातेदार काश्तकार मानकर प्रतिवादी का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा सिद्ध नहीं था तथा उसके काउन्टर क्लेम को गलत प्रकार से डिक्री किया गया था। इसलिए अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13-9-2002 में अंकित किया है कि वादी का कभी भी मौके पर कब्जा काश्त नहीं रही बल्कि उसके कायम मुकाम श्री पुरूषोत्तम पुत्र राधे द्धारा साझे-बाझे पर सोन्या वगैरह से काश्त करायी है। प्रतिवादी की भूमि ख0 नं0 64 पर मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर व उसके गवाहों के बयानात के आधार पर प्रतिवादी श्रीनारायण का कब्जा काश्त है। वादी के मुख्त्यारआम पुरूषोत्तम ने विधि विरूद्ध कब्जा कर रखा है तथा मौके पर वादी की भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का अंकन हो रहा है। प्रतिवादी/रेस्पो0 को आराजी आवंटित तो हुई किन्तु आवंटन के बाद ख0 नं0 64 पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं दिया गया और इस आशय का कोई रेकार्ड व अन्य साक्ष्य भी पेश नहीं की गई जबकि अपीलांट का मोके पर कब्जा प्रारम्भ से ही चला आ रहा है। तहत न्यायालय द्धारा अपना निर्णय मात्र मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है जबकि यह रिपोर्ट अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा में उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित की गई है जिसे निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

7– हस्तगत अपील में अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क यही रहा है कि वादग्रस्त आराजी सन् 1989 में आवंटित हुई थी। वादग्रस्त आराजी के बाबत अपीलीय न्यायालय में विवाधक कायम किये गये थे जबकि अपीलीय न्यायालय को चाहिए था कि विवाद्यकों पर दोनों पक्षों को सुनकर विस्तृत निर्णय पारित करते। साथ ही वादग्रस्त आराजी भी बेचान कर दी जिसमें खरीददारों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि उन्हें भी आवश्यक पक्षकार बनाकर अपील का निर्णय करना चाहिए था। इसलिए हमारी विनम्र राय में अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है और प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–8–2006 अपास्त की जाकर प्रकरण सहायक कलक्टर, खण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाकर तथा वाद में विवाद्यक कायम किये गये हैं उन विवाद्यकों पर पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य